प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय,

दिनांक–13.10.2023 (सं0–337)

बिहार पुलिस के विशेष कार्य बल द्वारा वर्ष 2023 के माह जनवरी से माह सितम्बर तक नक्सल तथा अपराधकर्मियों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में अर्जित उपलब्धियाँ

- माह सितम्बर 2023 में एस0टी0एफ0, बिहार के द्वारा कुल 25 मोस्ट वाण्टेड अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी, जिसमें 25 हजार के इनामी 01 अपराधी शामिल हैं।
- माह जनवरी से माह सितम्बर तक बिहार पुलिस की STF के द्वारा अपराधियों, नक्सलियों तथा संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गयी है। फलस्वरूप माह जनवरी से माह सितम्बर तक कुल 426 मोस्ट वाण्टेड अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी है, जिसमें 50 हजार के 10 तथा 25 हजार के 04 घोषित इनामी हैं।

क्र0	कार्रवाई	वर्ष 2023 (जनवरी से सितम्बर तक)
1	कुल गिरफ्तार मोस्ट वाण्टेड अपराधी	426 (14 घोषित इनामी)
2	गिरफ्तार Top-10/20 अपराधी	97
3	कुल गिरफ्तार नक्सली	19 (01 घोषित इनामी)
4	कुल देशी हथियारों की बरामदगी	190
5	कुल जिन्दा कारतूस की बरामदगी	7605
6	कुल पुलिस हथियारों की बरामदगी	05 (ए0के0 47–03, एस0एल0आर0–01 तथा .303 रायफल–01)
7	कुल डेटोनेटर की बरामदगी	13806

सितम्बर माह 2023 में कतिपय महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

❖ 01 घोषित इनामी 25 हजार रुपये का

1. <u>25 हजार रुपये का इनामी एवं कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारीः–</u> 01

- दिनांक 01.09.2023 को **बिहार एस.टी.एफ.** के विशेष टीम के द्वारा सिवान जिला पुलिस के सहयोग से गोपालगंज जिले का **25 हजार रुपये का ईनामी एवं कुख्यात वांछित अपराधी (टॉप–10)** मनीष यादव, पे0 ललन यादव, सा0 भगवान टोला, थाना उचकागाँव, जिला गोपालगंज एवं उसके सहयोगी अपराधी 2. सुरज चौबे उर्फ त्रिपुरेश चौबे उर्फ छापा, पे0 प्रेमनाथ चौबे, सा0 नैपुर, थाना मदनपुर, जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश) को सिवान जिला के हसनपुरा थाना क्षेत्र से छापामारी कर **अवैध आग्नेयास्त्र** एवं अन्य समानों के साथ गिरफ्तार किया गया।

- देशी पिस्टल – 01, देशी पिस्तौल – 01, जिन्दा कारतुस – 04, मैगजीन – 01, मोबाइल –02, सोने जैसा आभूषण – 222.69 ग्राम (लगभग) एवं चाँदी आभूषण – 616 ग्राम (लगभग) बरामदगी–
  - उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधकर्मियों द्वारा दिनांक 14.08.23 को सिवान जिलान्तर्गत हसनपुरा स्थित सिमी ज्वेलर्स के दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस संदर्भ में एम0एच0 नगर थाना कांड सं0 178/23 दिनांक 14.08.23 धारा 395 भा0द0वि0 दर्ज है। मनीष यादव के विरुद्ध सिवान एवं गोपालगंज जिला के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट के कई कांड अंकित हैं।

XXXXX